बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं.सं.-नि.प्रा./नि० 1-58/2009 -403 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय :- पैक्स निर्वाचन : विधि व्यवस्था का संधारण एवं मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाईल/सेल्यूलर फोन के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(7) के प्रावधान निम्नवत हैं :-

मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध - (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या
(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या
(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या
(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या
(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

2. मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के निकट चुनाव कार्य करने (electioneering) पर प्रतिबंध लगाने तथा मतों की गणना के समय मतगणना केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉयरलेस सेट आदि के साथ मतदान केन्द्र के समीप (100मीटर की परिधि के अंतर्गत) जाने अथवा उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार मतगणना केन्द्र के अन्दर एवं बाहर के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मतगणना केन्द्र/हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अपने घेरे में रखा गया है, किसी व्यक्ति को वैसे उपकरण ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इन निदेशों के विपरीत किसी व्यक्ति के पास वैसे उपकरण पाए जाते हैं, तो सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा तथा मतों की गणना पूरी हो जाने तथा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात ही संबंधित व्यक्ति को लौटाया जाएगा।

3. ये निदेश विधि–व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा कार्य हेतु मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में/के निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगे, जो वैसे उपकरणों का उपयोग अपने सरकारी दायित्वो को निर्वहन के दौरान करते हों। उसी प्रकार ये निदेश प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं मतदान कर्तव्य तथा मतगणना कर्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी पर भी लागू नहीं होंगे।

4. प्राधिकार के उक्त निदेशों से अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को सूचना एवं अनुपालन हेतु लिखित रूप में अवगत करा दिया जाए। सर्वसाधारण की सूचना के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 403 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

मुख्य चुनाव पदाधिकारी